न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 25/2015

प्रार्थी	बनाम्	अप्रार्थीगण
भूराराम गोदारा खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर		1. पुरखाराम पुत्र रूपाराम जाति प्रजापत निवासी सन्तो का वास पाटोदी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 2. अशोक पारख सोल प्रोप्राईटर मैं. एम.एम.फूड, के 4–13 कृषि उपज मण्डी मण्डोर जोधपुर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर
2. श्री सुनील मैराजा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक 28.12.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.12.2014 को दोपहर 01.00 बजे प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी के दौराने गश्त जरिये सरकारी वाहन, मैसर्स गौतमचन्द शंकरलाल पाटोदी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर पहुॅचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा मिला। जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम पुरखाराम पुत्र रूपाराम जाति प्रजापत निवासी सन्तो का वास पाटोदी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (मालिक व खाद्य कारोबारकर्ता) होना बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में मैसर्स गौतमचन्द शंकरलाल पाटोदी तहसील पचपदरा का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य खाध सामग्री के साथ लाल मिर्ची पाउडर ब्राण्ड मनुहार (500 ग्राम पैकिंग) 20 पैकेट में पाई गई। जिसमें मिलावट होने का संदेह होने पर दो किलो खरीदी गई, जिसकी कीमत मौके पर मालिक विक्रेता को 360/– रूपये अदा की गयी। इन लाल मिर्ची पाउडर ब्राण्ड मनुहार को चार कागज के पैकेट में रखकर विवरण स्पिल भरकर प्रत्येक कागज के पैकेट पर चिपकाई जाकर प्रत्येक कण्टेनर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

को अलग अलग चार मौके व खाकी रंग के कागज में लपेट कर, लपेटे गये कागज के दोनों सिरो को गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूने पर प्रार्थी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के हस्ताक्षरयुक्त चार एक ही नम्बर की पेपर स्लीप पी. 421 प्रत्येक नमूने पर एक–एक पेपर स्लिप एराउण्ड दी सेम्पल चिपकाई गई व प्रत्येक नमूने को चारो तरह से नियमानुसार मजबूत एवं मोटे धागे से बांधा गया। प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाहों ने पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही रूबरू दो गवाहो के की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.421 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटडोर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूने का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाध पदार्थ लाल मिर्ची पाउडर ब्रांड मनुहार (500ग्राम) नमूना पी.421 की जॉच रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा जेब जोधुपर द्वारा क्रमांक एलएस/812/एक्ट/2014/831 दिनांक 29.12.2014 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर को प्राप्त हुई। जॉच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर लाल मिर्ची पाउडर ब्राण्ड मनुहार का नमूना जॉच में मिसब्रान्ड स्तर का पाया गया। उक्त प्रकरण में खाध पदार्थ लाल मिर्ची पाउडर ब्राण्ड मनुहार का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति,कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

421 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुनील मैराजा अधिवक्ता उपस्थित हुए।

3. प्रार्थी की ओर से बहस के दौरान् सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर ने तर्क किया कि दिनांक 18.12.2014 को गश्त करते हुए खाध सुरक्षा अधिकारी के मैसर्स गौतमचन्द शंकरलाल पाटोदी तहसील पचपदरा पहुॅचने पर दुकान का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान् दुकान में अन्य किराणा सामग्री के साथ–साथ लाल मिर्ची पाउडर ब्राण्ड मनुहार (500 ग्राम पैकिंग) 20 पैकेट मे पाई गई। उक्त लाल मिर्ची पाउडर में मिलावट होने का संदेह होने पर इसका नियमानुसार नमूना लिया गया। जॉच के दौरान लिया गया लाल मिर्ची पाउडर ब्रान्ड मनुहार (500 ग्राम) का नमूना पी–421 मिसब्रान्ड स्तर का होना पाया गया, जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने बहस के दौरान तर्क किया कि अप्रार्थीगण का यह पहला अपराध है, भविष्य में उसके द्वारा इसकी पुर्नरावृति नहीं की जायेगी अतः कम से कम जुर्माना आरोपित करते हुए परिवाद का निस्तारण करवाया जायें।

5. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/812/एक्ट/2014/831 दिनांक 29.12.2014 के अनुसार अप्रार्थीगण अभियुक्त द्वारा बेची जा रही लाल मिर्ची पाउडर ब्राण्ड मनुहार का सेंपल नमूना जॉच में मिसब्राण्ड (misbranded) पाया गया है जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण अभियुक्त पुरखाराम वगैरहा द्वारा खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)के तहत मिसब्राण्ड (misbranded) लाल मिर्ची पाउडर ब्राण्ड मनुहार का विक्रय करने के दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में मिसब्राण्ड (misbranded) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 में अभियुक्त पुरखाराम एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अशोक पारख प्रत्येक पर 20000/– अक्षरे रूपये बीस–बीस हजार मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 28.12.2016 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 28.12.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर